Speed Post

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. SPS/3/2014/MHOM2/SEPROM/RU-III

Date: 30.09.2019

To,

The Director,
Intelligence Bureau,
Ministry of Home Affairs,
35, Sardar Patel Marg,
New Delhi-110021

Sub: **Minutes of the Meeting held on 04.09.2019 under Chairmanship of Hon'ble Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) in case of** Representation of S/Shri Shish Pal Singh & Shyam Lal Meena, Quarter No.409, Lancer Road, Timarpur, New Delhi-110054 regarding promotion to the post of ACIO-II/WT in the Intelligence Bureau.

Sir,

I am directed to enclose herewith **Minutes of the Meeting** held on **04.09.2019** on the above cited subject.

It is, requested that action taken report in the matter may please be sent to the Commission within 15 Days.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(R.K. Dubey)
Assistant Director

Copy for information:

1. Shri Shish Pal Singh,
   Quarter No. 409, Lancer Road,
   Timar Pur, New Delhi - 110054
2. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- SPS/3/2014/MHOM2/SEPROM/RU - III)

श्री शीशपाल सिंह तथा श्री श्याम लाल मीना क्वार्टर नंबर 409, लांसर रोड तिमारपुर नई दिल्ली द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो में एसीआईओ-II/डबल्यूटी (ACIO-II/WT) पद पर पदोन्नति के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 04.09.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 04.09.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री शीशपाल सिंह तथा श्री श्याम लाल मीना क्वार्टर नंबर 409, लांसर रोड, तिमारपुर, नई दिल्ली ने इंटेलिंजेंस ब्यूरो में एसीआईओ-II/डबल्यूटी (ACIO-II/WT) के पद पर पदोन्नति के मामले में आयोग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। प्रकरण में दिनांक 16.03.2018 को पिछली बैठक हुई थी।
2. आयोग द्वारा दिनांक 16.03.2018 की बैठक में निम्नलिखित अनुशंसा की गई थी-
   विभाग इस पर समुचित परीक्षण के पश्चात नियमानुकूल कार्यवाही करें तथा आयोग को उससे अवगत कराएं।
3. माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार प्रकरण में पुनः बैठक आहूत करने के लिए दिनांक 29.08.2019 को निदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो को बैठक की नोटिस भेजी गई थी। दिनांक 04.09.2019 को आहूत बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक श्री जगमोहन उपस्थित हुए थे।
4. आयोग ने पहले अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा, श्री शीशपाल सिंह तथा श्री श्याम लाल मीना ने बताया कि वर्ष 2003-04 की डीपीसी में पदोन्नति कोटि में 188 पदोन्नति कोटा था जिसमें 14 पोस्ट एसटी श्रेणी की थी। इसमें 3 पद ही भरे हुए थे और शेष 11 पद अनुसूचित जनजाति(ST) वर्ग में खाली थे जिसे विभाग द्वारा सामान्य वर्ग में परिवर्तित (Divert) कर दिया गया। एसीआईओ-II/डबल्यूटी (ACIO-II/WT) के पदों को

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

50 प्रतिशत पदोन्नति, 40 प्रतिशत सीधी नियुक्ति और 10 प्रतिशत पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना था। इसमें अनुसूचित जनजाति(ST) के पदों को प्रतिनियुक्ति की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए था। विभाग द्वारा इसे पूर्ववस्था (Restoration) कहा गया जबकि यह परिवर्तन (Diversion) था। अनुसूचित जनजाति(ST) के पदों को इसी श्रेणी के कर्मियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। इस कथन को अधिकारियों ने स्वीकार भी किया।

5. इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रतिनिधि अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2001-02 में पदोन्नति कोटि में सामान्य वर्ग के 221, अनुसूचित जाति के 40 और अनुसूचित जनजाति के 8 पद थे, कुल 269 पद थे। पद परिवर्तन (Diversion) के अनुसार 269 में 14 सीट अनुसूचित जनजाति के बनते हैं। उस समय विभाग के पास 8 अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार थे।
6. अभ्यावेदक ने बताया कि वर्ष 2001-2002 की डीपीसी के समय 14 पद बनते है जिसमें से 6 पद खाली थे। प्रतिनियुक्ति कोटि में 1 वर्ष में 10 प्रतिशत रिक्ति होती है तो ऐसे में प्रतिनियुक्ति कोटि में इतनी रिक्तियां कैसे हुई?
7. इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रतिनिधि अधिकारी ने बताया कि तत्कालीन समय में एसीआईओ-II/डबल्यूटी (ACIO-II/WT) कैडर में अधिकारियों की उपलब्धता निर्धारित से 71 अधिक थी जिसके कारण संबंधित श्रेणी में रिक्तियां कम हो गई। दिनांक 20 जुलाई 2004 को नया आर.आर. (RR) लागू हुआ। वर्ष 03-04 में अभ्यावेदक पदोन्नति योग्य हुए उसके बाद नया आर.आर. लागू हो चुका था। अब आयोग द्वारा जो भी अनुशंसा की जाएगी वह मान्य होगा।
8. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसा की-
    - पदोन्नति कोटि में पदोन्नति के लिए अभ्यावेदक वर्ष 03-04 में योग्य थे अतः जिस दिन से अभ्यावेदक योग्य होते हैं उस दिन से सारे परिणामी लाभों (with all consequential benefits) के साथ उन्हें पदोन्नति दिया जाए।

उपरोक्त अनुशंसा के अनुपालन में कार्यवृत्त प्राप्त होने के 1 माह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट से आयोग को अवगत कराएं ।

16.09.09

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- SPS/3/2014/MHOM2/SEPROM/RU - III)

श्री शीशपाल सिंह तथा श्री श्याम लाल मीना क्वार्टर नंबर 409, लांसर रोड तिमारपुर नई दिल्ली द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो में एसीआईओ-II/डबल्यूटी (ACIO-II/WT) पद पर पदोन्नति के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 04.09.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मियों की सूची-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

(1.)	डॉ. नंद कुमार साय,	माननीय अध्यक्ष
(2.)	श्री ए.के सिंह,	सचिव
(3.)	श्री एस.के.रथ,	संयुक्त सचिव
(4.)	डॉ ललित लट्टा,	निदेशक
(5.)	श्री आर.के दुबे,	स. निदेशक
(6.)	श्री आलोक कुमार द्विवेदी,	परामर्शक

- **इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी**

(1.)	श्री जगमोहन,	संयुक्त निदेशक

- **अभ्यावेदक**

(1.) श्री शीशपाल सिंह

(2.) श्री श्याम लाल मीना